अब्दुल रहमान

बनाम

परसोनी बाई और अन्य

नवम्बर 20, 2002

(रूमा पाल और एस.बी. सिन्हा, जेजे.)

दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908:

धारा 11 - आन्वयिक पूर्व न्याय का सिद्धांत - प्रयोज्यता यदि किसी मामले में कार्यवाही की वैधता को प्रश्नगत नहीं किया गया हो, तथा मामले ने अंतिम रूप ले लिया हो तो किसी बिन्दू को कार्यवाही में पहले उठाया जाना चाहिए था। लेकिन नहीं उठाया गया है तो अब यह आन्वयिक पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर वर्जित होगा।

धारा 24- उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद को प्रत्याहरित करना - उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार - निर्णित किया गया कि उच्च न्यायालय को स्वप्रेरणा से मामले को प्रत्याहरित करने तथा निस्तारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद- निस्तारित- मामले का निस्तारण करने के लिए प्रक्रिया का पालन आवश्यक है- निर्णित किया गया कि स्वीकृत तथ्यों के आधार पर मामले का निस्तारण करने के लिए प्रारम्भिक विवाद्यकों पर भी मामला निस्तारित किया जा सकता है इसके लिए कोई विषिष्ट प्रक्रिया का पालन करने की आवष्यकता नहीं है- आदेश 14 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता।

प्रत्यर्थी संख्या 1 से सम्पत्ति का कब्जा पटवारी ने यह कहते हुए लिया गया कि सम्पत्ति का स्वामी निर्वसीयती है व बिना उत्तराधिकार मृत हुआ है इसलिए सम्पत्ति को लेकर राज्यगामी की कार्यवाही प्रारंभ की गई। इसके पश्चात सम्पत्ति का एक भाग अपीलार्थी जो कि किरायेदार था, को अलॉट किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रेवेन्यू अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवटन को चुनौति दी, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि का कब्जा दिलवाया गया तथा अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवटन को निरस्त किया गया। अपील में रेवेन्यू बोर्ड ने आवंटन के निरस्तीकरण के आदेश को यथावत् रखा। उच्च न्यायालय के समक्ष रेवेन्यू अर्थीरिटी के द्वारा पारित किये गये आदेश को चुनौति देते हुये याचिका दायर की गई।

रेवेन्यू बोर्ड ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में सम्पत्ति का म्यूटेशन किये जाने का आदेश दिया। म्यूटेशन के आदेश के पुर्नवलोकन के लिए आवेदन किया गया जो खारिज किया गया। अब्दुल रहमान बनाम परसोनी बाई अपीलार्थी ने इस आशय की घोषणा के लिए दीवानी दावा किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 मूल आवंटी की पुत्री नहीं है तथा वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भूमि पर काबिज है। मामला उच्च न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक विवायक को लेकर पहुंचा। न्यायालय ने यह पाया कि पक्षकारों के बीच में सम्पत्ति को लेकर पूर्व में भी मुकदमें बाजी चली थी। इसलिए विचारण न्यायालय से वाद को प्रत्याहरित करके वाद को खारिज इस आधार पर किया कि वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत से बांधित है इस कारण से वाद संधारणीय नहीं है। एकल पीठ के निर्णय निर्णय के खिलाफ की गई याचिका को खण्ड पीठ ने खारिज किया।

इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई अपील में यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहित की धारा 24 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये दीवानी वाद को वापिस लेने और पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण की कोई अधिकारिता नहीं थी। मामले के किसी भी प्रक्रम पर विवायकों को निर्धारित करने की प्रक्रिया का पालन उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया। इसलिए आलौच्य आदेश को बिना किसी क्षेत्राधिकार के माना जाना चाहिए। चूंकि राजस्व न्यायालय को स्टेटस के प्रश्न को निर्धारित करने की अधिकारिता नहीं थी। इसलिए पूर्व न्याय का सिद्धांत मामले पर किसी भी तरह से लागू नहीं होता है।

अपील खारिज की गई।

- 1.1 यह सत्य है कि आम तौर पर उच्च न्यायालय प्रकरणों के निस्तारण में दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत आदेश पारित नहीं करता है। सिविल प्रक्रिया की धारा 24 के तहत निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालय के पास अपने अधीनस्थ किसी भी अदालत में लंबित किसी भी मुकदमें को प्रत्याहरित करने और स्वप्ररेणा से मुकदमा चलाने तथा मामले को निपटाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। इसके लिए नोटिस जारी किये जाने की भी आवश्यकता नहीं होता है। (270 -सी.डी)
- 1.2 मामले के रिकोर्ड से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लेकर कोई आपित नहीं उठाई है। बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि अपीलार्थी ने बिना किसी आपित के मामले की कार्यवाही में भाग लेकर ना केवल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को माना बल्कि प्रश्लगत संपित को खरीदने की भी पेशकश की। उच्च न्यायालय को मामले को प्रत्याहरित करके स्वप्ररेणा से पत्रावली के निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।(271 -डी.एफ)

खुशरो एस. गांधी व अन्य बनाम एन ए गुजधार के विधिक प्रतिनिधि व अन्य एआईआर (1970) सुप्रीम कोर्ट 1468 में यह निर्णित किया है कि 2. जहां स्वीकृत तथ्यों के आधार पर वाद का निस्तारण प्रारिभंक विवायक के आधार पर ही किया जा सकता हो, तो इसके लिए

उच्च न्यायालय को किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 1 के तहत दीवानी न्यायालय प्रारंभिक विवाधकों पर भी मामले का निस्तारण कर सकता है। इसिलए यह निसंदेह व निर्विवादित है कि वाद की पोषणीयता को लेकर पूर्ण न्याय व आन्वयिक बिन्दुओं को प्रारंभिक विवाधक के रूप में तय किया जा सकता है। इसिलए इस तरह के मामलों में प्रारंभिक विवाधकों के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए। (271 -जी.एच)

3.1 विचाराधीन सम्पत्ति अनुदान का विषय हो सकती है। यह प्रश्न क्षेत्राधिकार पर निर्भर है अर्थात् क्या मूल आवंटी की मृत्यु निर्वसीयती बिना उत्तराधिकारी के हुई थी? यदि मूल आवंटी सिंह अपने उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि छोड कर मृत हो गया है, तो सम्पत्ति के राज्यगामी होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के क्षेत्राधिकार संबंधित प्रश्न केवल राजस्व अधिकारियों के समक्ष उठाया जा सकता था। एक बार जब यह मान लिया गया है कि राजस्व अधिकारियों को इन प्रश्नों को निर्धारित करने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त थी तो निश्चित रूप से यह प्रश्न राजस्व अधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही में उठाये जा सकते थे, तथा उठाये जाने चाहिए थे लेकिन नहीं उठाये गये और अब दीवानी दावे की

कार्यवाही में उठाये जाते है तो यह आन्वयिक पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर वर्जित होगा। (272 -सी.ई)

- 3.2 कोई भी मामला वास्तव में किसी मुकदमें की विषय वस्तु नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी यह मामले से संबंधित हो सकता है। प्रश्न की क्या प्रथम प्रत्यर्थी मूल आवंटी की पुत्री थी? यह मुददा राजस्व बोर्ड के समक्ष आवटन के रद्द करने की कार्यवाही और म्यूटेशन की कार्यवाही से संबंधित था? अपीलार्थी को प्रथम कार्यवाही में यह आपित करने का अधिकार था कि प्रत्यर्थी संख्या मूल आवंटी की पुत्री नहीं थी, लेकिन इस तरह का तर्क अपीलार्थी ने नहीं उठाया। (272 .ई.जी)
- 4.1 केवल इसलिए कि विवादित सम्पत्ति मुकदमें के किसी एक पक्षकार के नाम कर दी गई है तो यह पक्षकारों के बीच में निर्णायक ओर बाध्यकारी नहीं होगा। रिकोर्ड में प्रविष्टि होने मात्र से विवादग्रस्त सम्पत्ति को लेकर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। लेकिन मामलें हाजा को देखा जावे तो प्रत्यर्थी के मुकाबले मंगल सिंह का स्वामित्व कभी भी विवादित नहीं रहा था। दीवानी दावे में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या अपीलार्थी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पत्ति में कोई अधिकार या स्वामित्व प्राप्त करता था।

अब्दुल रहमान बनाम परसोनी बाई 263 लेकिन यह निष्कर्ष निकला है कि मूल आवंटी को विवादित सम्पत्ति को लेकर स्वामित्व प्राप्त था। (273 -.बी.डी)

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमर सिंह व अन्य (1997) एसएससी 734 और (1997) एसएससी 7 और बलवान सिंह और अन्य बनाम दौलत सिंह (मृत) बाई एल.आरएस (1997) 7 एसएससी 137

- 4.2 मामले के विशिष्ठ तथ्यों व परिस्थितियों मे यदि उच्च न्यायालय की एकलपीठ के विद्वान न्यायाधीश महोदय ने मुकदमा प्रत्याहरित कर लिया था और स्वीकृत तथ्यों के आधार पर मामले का निस्तारण कर दिया था तो इसमें कोई अवैधता नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खण्डपीठ ने भी माना कि सम्पत्ति में मूल आवंटी के स्वामित्व को लेकर अपीलार्थी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए विवाद पोषणीय नहीं है।(273 -डी,ई)
- 4.3 प्रथम प्रत्यर्थी के स्टेटस को लेकर कोई भी विवाद रेवेन्यू अर्थीरिटी के समक्ष नहीं उठाया गया था। चूंकि अपीलार्थी ने अपने आप को मूल आवंटी का किरायेदार बताया था। इसलिए इस बात को माने जाने का कोई आधार नहीं है कि मूल आवंटी व प्रथम प्रत्यर्थी के बीच में क्या रिश्ता था, इसको लेकर अपीलार्थी को पता ना हो। अपीलार्थी ने रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा की गई कार्यवाही को अपने विरुद्ध निर्णित होने दिया। इसलिए रेवेन्यू

बोर्ड का निर्णय अंतिम है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की गई है। दीवानी वाद म्यूटेशन की कार्यवाही से अधिकार तय होने के पश्चात् तीन साल बाद किया गया है। (273 -जी, एच 274 ए.बी)

4.4 अपीलार्थी को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए था तथा इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि लोक हित में मामले का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है। हालांकि न्यायिक निर्णय जोनसन बनाम जार्जवुड एंण्ड कोरपोरेशन (2000) 2 एसी में यह बताया गया है कि विबंध का सिद्धांत तथा अभिलेख द्वारा विबंध पूर्णतया अलग-अलग बिन्दू है। इसलिए वादी के द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार किया गया है। (274 बी,सी)

जॉनसन बनाम गोरे वुड और क. (2002) 2 एसी, संदर्भित करता है

5 मामले के तथ्यों के अनुसार यदि अपीलार्थी अपने आप को मूल आवंटी का किरायेदार बताता है तो वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपना अभिवाक् नहीं ले सकता है। ना ही एक किरायेदार के रूप में मूल आवंटी के स्वामित्व के प्रश्नगत कर सकती है। सम्पत्ति के राज्यगामी करने की कार्यवाही राज्य के कहने पर शुरू की गई थी, जो यह दर्शाता है कि राज्य ने इस आधार पर कार्यवाही की थी कि प्रश्न गत भूमि को लेकर मूल आवंटी को स्वामित्व प्राप्त है तथा मूल आवंटी बिना किसी उत्तराधिकार के निर्वसती फौत हुआ था।

इसिलए सम्पित राज्य में निहित होगी। अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि आबंदित की गई थी लेकिन यह स्पष्ट है कि मूल आवंदी सम्पित का स्वामी था, जो बिना किसी उत्तराधिकारी के निर्वसीयती फौत हुआ था। इसिलए अपीलार्थी को अपनी बातों से मुकरने की अनुमित नहीं दी जा सकती है। (274-डी-ई)

6. संविधान के अनुछेद 136 के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अलौच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। (274-एफ) दीवानी अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील नं 7497/2002 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता, ए शरण, अमित उमार और एस चन्द्र शेखर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता पी.के यादव, मिस कामाक्षी एस मेहलवाल (एनपी)

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति महोदय, एस.बी. सिन्हा द्वारा किया गया।

मंगल सिंह (मृतक) और प्रथम प्रत्यर्थी मूल रूप से पाकिस्तान के निवासी थे। भारत में विस्थापित व्यक्ति के रूप में मंगल सिंह को ग्राम शोरबा, तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर में 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि

आवंटित की गई। उक्त मंगल सिंह की मृत्यु हो गई जिसके बाद 31.3.1978 को गांव के पटवारी द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई कि वह बिना किसी वारिस के बिना वसीयत के मर गया है। इसलिए 12.3.1979 को तहसीलदार किशनगढ़बास द्वारा राज्यगामी की कार्यवाही शुरू की गई थी। प्रश्नगत भूमि का कब्ज़ा पटवारी द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी से 28.3.1979 को ले लिया गया था। प्रश्नगत भूमि का एक हिस्सा अपीलकर्ता को 11.5.1979 को तहसीलदार द्वारा आवंटित कर दिया। प्रथम प्रत्यर्थी अपीलार्थी के पक्ष में किए गए भूमि आवंटन पर आपत्ति उठायी। अतिरिक्त कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 24.8.1979 द्वारा कब्जा लेने के आदेश को रद्द कर दिया और प्रथम प्रत्यर्थी परसोनी बाई का कब्जा बहाल कर दिया। तथा अपीलार्थी को किये गए भूमि के आवंटन को रद्द कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष मे किये गए दिनांक 24.8.1979 के अब्दुल रहमान बनाम परसोनी बाई (एस.बी.सिन्हाजे. 265 उक्त निरस्तीकरण के आदेष के खिलाफ अपीलार्थी ने राजस्व बोर्ड के समक्ष अपील दायर की। राजस्व मंडल ने अपने आदेश दिनांक 28.11.1985 द्वारा आवंटन रद्द करने के उक्त आदेश को बरकरार रखते हुए पाया कि(1) आदेश पक्षकार परसोनी बाई की अनुपस्थिति में पारित किया गया था। (2) जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन पहले से ही थी। उस व्यक्ति को नोटिस दिये बिना ही तहसीलदार को सम्पत्ति अब्द्ल रहमान को आबंटित नहीं करनी चाहिए थी। (3) इसलिए यह स्पष्ट है कि तहसीलदार किषनगढबास हरिष चन्द्र ने अब्दुल रहमान को

भूमि आवंटित करते समय गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम किया था। और (4) इस गैर जिम्मेदार तरीके के लिए तहसीलदार के खिलाफ अनुषासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।"

अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष राजस्व बोर्ड के इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की जो एसबी सिविल रीट पीटिशन नं. 2274/1985 के रूप में दर्ज की गई। यह याचिका खारिज कर दी गई।

प्रथम प्रत्यर्थी के नाम म्यूटेशन के लिए एक म्यूटेशन कार्यवाही शुरू की गई थी। जिसका भी अपीलार्थी ने विरोध किया था। प्रथम प्रत्यर्थी का नाम राजस्व बोर्ड के आदेष दिनांक 31.05.1993 के द्वारा संषोधित करने का आदेष दिया गया था। अपीलार्थी ने रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष पुर्नविलोकन का आवेदन किया। लेकिन रेवेन्यू बोर्ड ने पुनर्विलोकन याचिक को 14.06.99 के आदेष से खारिज कर दी।

अपीलार्थी ने अपने लिखित तर्कों में यह कहा कि सम्पत्ति के राज्यगामी होने की प्रक्रिया अभी भी विचाराधीन है।

वर्ष 1999, में अपीलार्थी ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन किशनगढबास) के न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। यह वाद 17/1999 के रूप मे दर्ज किया गया था। इस वाद में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोष के लिए भी निवेदन किया गया थाः

- (1) यह घोषित किया जावे कि परसोनी बाई मंगलिसंह की बेटी नहीं है।
- (2) मंगलसिंह के जीवन काल में भी वादी प्रतिकूल कब्जे में था
- (3) स्थाई निषेधाज्ञा

उपर्युक्त मुकदमें में पक्षों के अभिवचनों के मध्यनजर रखते हुए निम्नलिखित तीन विवादक विरचित किये गये:

- (1) क्या विचाराधीन सिविल मुकदमें का विवाद पहले से न्यायालय द्वारा निर्णित व तय किया जा चुका है और क्या वाद यह पूर्व-न्याय के सिद्धांत से प्रभावित होता है?
- (2) क्या दावा मर्यादा अवधि वर्जित है?
- (3) क्या वादी के पास मुकदमा दायर करने के लिए कोई अधिकार नहीं था?

दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लेकर 10.08.99 को एक अतिरिक्त विवाद्यक विरचित किया गया था। इससे व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने चौथा विवाद्यक विरचित किये जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश की वैद्यता को लेकर उच्च न्यायालय के समक्ष दीवानी पुनरीक्षण याचिका दायर की। दिनांक 24.10.2000 को एक आदेश द्वारा उच्च

न्यायालय ने सिविल पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया यह आदेश प्रत्यर्थी सं 1 के इस तर्क के आधार पर पारित किया गया था कि उनकी पक्षकार महिला है। उनके पक्षकार को किसी न किसी कारण से परेशान किया जा रहा है, उन्हें इस बात पर आपित नहीं है कि विवायक सं 4 जो कि दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, को विलोपित कर दिया जावे।

इसके बाद प्रथम प्रत्यर्थी ने एक आवेदन किया कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन किशनगढबास अलवर) को दीवानी मु. सं 17/1999 जल्दी से जल्दी तय करने के लिए निर्देश दिया जावे। इस आवेदन को खारिज कर दिया गया है लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.12.2020 में इस बात को मध्यनजर रखते हुये आदेश दिया कि पक्षों के बीच में पुराने मुकदमें भी सम्पत्ति से संबंधित चल रहे हैं।

"किसी भी पक्षकार द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन यह भी उचित होगा कि विचारण न्यायालय मामले का शीघ्रता से निस्तारण करें। याचिका कर्ता के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि वादी को साक्ष्य पेष करने के लिए कम से 18 महीने से 2 साल तक का समय दिया जावे।

कोई आदेश देने से पहले न्यायालय स्व प्रेरणा से दीवानी वाद संख्या 17/99 के रिकोर्ड को तलब करवाना उचित पाता है तथा यह रिकोर्ड 04.01.2000 तक या उससे पहले प्रेषित किया जावे। ताकि आवष्यक आदेश पारित किया जा सकें। इस स्तर पर श्रीमान कुटेरिया ने कथन किया कि उन्हे उनके पक्षकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये है। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने इस बात की अंटरटेकिंग दी कि अधिवक्ता जो कि विचारण न्यायालय में वादी की ओर से पैरवी कर रहे है, उन्हें अगली तारीख के लिए सूचित कर देंगे। मामला 04.01.2001 के लिए सूचिबद्ध किया जाता है।"

अब्दुल रहमान बनाम परसोनी बाई (एस.बी. सिन्हा.जे.) 267 दिनांक 6.8.2001 पक्षकार अपने अधिवक्ता के साथ विद्वान न्यायाधीश के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रष्नगत नहीं किया था। यह स्पष्ट है कि कार्यवाही के दौरान प्रथम प्रत्यर्थी ने प्रष्नगत संपति को अपीलार्थी को बेचने की इच्छा जाहिर की थी। जिसके बाद कोटकासिम जिला अलवर को दिनांक 6.8.2001 से आदेशित किया गया था कि संबंधित गांव की कृषि भूमि के बाजारू मूल्य के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है।

"पक्षकारान अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं। हालांकि प्रत्यर्थी के पक्ष से कोई हिस्सेदारी नहीं बनती हैं लेकिन याचिकाकर्ता संपित को बाजार मूल्य पर प्रत्यर्थी को जमीन बेचने के लिए तैयार है। दोनों पक्षकार इस पर भी सहमत हैं कि तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर ग्राम शोरबा, तहसील कोटकासिम के कृषि भूमि के बाजार मूल्य के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तहसीलदार व्यक्तिगत रूप उपस्थित होकर दिनांक 27.8.2001 को अपनी रिपोर्ट पेश करें। आदेश की अनुपालन तहसीलदार द्वारा की जावें।"

तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.8.2001 को प्रस्तुत की, जिस पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

"पूर्व आदेश की पालना में तहसीलदार उपस्थित है। जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्हें पुनः उपस्थिति देने की आवश्यकता नहीं है। विचारण न्यायालय से पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। मामले क अंतिम निर्णय और समझौते के लिए मामला दिनांक 12.9.2001 को सूचीबद्ध किया जावें।"

विद्वान एकल न्यायाधीश ने उभय पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात` वाद को खारिज किया तथा निष्कर्ष दिया कि

"राजस्व व उच्च न्यायालय के दो स्तरों पर हारने के बावजूद भी वादी अब्दुल रहमान शायद अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तथा वर्तमान मुकदमे वे ही तथ्य व अनुतोश अंकित किये है जिनको पहले से ही निर्णित किया जा चुका है। तथा इन मुद्दों पर अधीनस्थ न्यायालय ने पहले से ही प्रारम्भिक विवायक बना दिये है। मेरी राय मे धारा 24 सपठित धारा 151 के तहत अंतनिर्हित व्याक्तियों को लागू करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है न्यायालय को पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। पक्षों के अभिवचन व स्वीकृत निर्णय व डिक्री के दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संपूर्ण मामला पूर्ण-न्याय के दायरे मे आता है। पक्षों के मध्य 1979 से ही विवाद है। जिसे 1999 में राजस्व बोर्ड व उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा अर्थात् दो स्तरो पर निर्णित किया जा चुका है। वादी के द्वारा बार-बार एक ही विषयवस्तु को लेकर याचिकायें दायर करके न्यायिक प्रक्रिया का द्रूपयोग किया जा रहा है"

प्रारम्भिक विवासक यह है कि वर्तमान दीवानी वाद में निहित विवाद को पहले से ही न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिया गया है क्या हस्तगत वाद पूर्व-न्याय से बाधित है? इसको लेकर विभिन्न न्यायालयों द्वारा किये गये आदेश व निर्णयों से स्पष्ट है कि विवाद निर्णित कर दिया जा चुका है इसलिए यह विवायक वादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है यह न्यायालय द्वारा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है कि परसोनी बाई मंगल सिंह की पुत्री होने के कारण मंगल सिंह की संपति का कब्जा पाने की वैध हकदार है। परसोनी बाई के खिलाफ उसके पिता मंगल सिंह की संपति को लेकर की गई राज्यगामी की कार्यवाही को अवैध ठहराया गया तथा परसोनी बाई को संपति का कब्जा पुनः दिया गया। यह भी निर्णित किया गया कि वर्तमान अपीलार्थी उसे आवंटित भूमि के किसी भी हिस्से का हकदार नहीं है। वादी संपति को लेकर दो बार दावा हार चुका है। अब भी उसी संपति को लेकर घोषणा का दीवानी मुकदमा किया है।

अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका डी.बी. सिविल विशेष याचिका (सिविल) सं 191 वर्ष 2001 को उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 04.12.2001 से निम्न निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया गया।

"हम यह पाते है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आन्वयिक पूर्व न्याय के सिद्धांत पूर्णतः सही तरीके से लागू किया है। विवाद मुख्यतः एक ही पक्ष व एक ही संपति को लेकर था। वर्तमान अपीलार्थी आवंटन पर अपने अधिकार को स्थापित करने मे विफल रहा तथा ऐसे आवंटन को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसे उच्च न्यायालय ने भी यथावत रखा। पुनः परसोनी बाई के खिलाफ नये सिरे से मुकदमा दायर करने के लिए यह अभिवाक् लिया गया है कि परसोनी बाई मंगल सिंह की पुत्री नहीं है। यह मुद्दा पुनरीक्षण याचिका मे शामिल किया गया।"

अब्दुल रहमान बनाम परसोनी बाई (एस.बी. सिन्हा.जे.) 269 जब एक बार यह पाया कि उपस्थित अपीलार्थी अपने नाम से आवंटन का हकदार था और उसका आवंटन रद्द कर दिया गया है तो उसके पास इस बात को कहने का हक नहीं है कि परसोनी बाई मंगल सिंह की पुत्री नहीं है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से हम यह पाते है कि एकल न्यायाधीश ने सीपीसी की धारा 24 सपठित धारा 151 का सही प्रयोग प्रिक्रिया का दुरूपयोग रोकने के लिए तथा निरर्थक मुकदमों को रोकने के लिए किया। हमारी राय मे हस्तगत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे यह दृष्टिकोण पूर्णतया उपयुक्त है। वर्तमान प्रकरण के तथ्य यह बताते है कि पक्षकार मामले को लम्बा करना चाहता है तथा 24 वर्ष गुजरने के बावजूद भी तीसरा मुकदमा दायर करके विवाद को जीवित रखना चाहता है। अनावश्यक मुकदमें को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारी राय मे एकल न्यायाधीश ने सीपीसी की धारा 24 सपठित धारा 151

का सही प्रयोग किया। इस प्रकार तथ्यों एवं परिस्थितियों ऐसे दृश्टिकोण का प्रयोग समय की मांग है चुंकि इस अपील मे कोई आधार नही है अतः खारिज की जातीहै।

इस प्रकार अपील में विशेष अनुमित देने वाली याचिका निस्तारित की जाती है।

अपीलार्थी की ओर उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र शरण ने अपील के संबंध में निम्न तर्क दिये।

- (1) उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहित की धारा 24 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये दीवानी वाद को वापिस लेने और पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण की कोई अधिकारिता नहीं है।
- (2) मामले के किसी भी प्रक्रम पर विवायकों को निर्धारित करने की प्रक्रिया का पालन उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया। इसलिए आलौच्चय आदेश को बिना किसी क्षेत्राधिकार के माना जाना चाहिए।
- (3) चूंकि राजस्व न्यायालय को स्टेटस के प्रश्न को निर्धारित करने की अधिकारिता नहीं थी। इसलिए पूर्व न्याय का सिद्धांत मामले पर किसी भी तरह से लागू नहीं होता है।

विद्वान अधिवक्ता श्री शरण ने तर्क दिया कि अपीलार्थी मंगल सिंह का किरायेदार था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह विवादित नहीं है कि मंगल सिंह मूल आवंटी था। क्योंकि अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि पर खेती कर रहा था तथा उसने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व हासिल कर लिया था, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार आबंटन रद्द करने की कार्यवाही प्रथम प्रत्यर्थी के द्वारा शुरू नहीं की जा सकती थी क्योंकि वह स्वयं दोषपूर्ण थी।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में यह तर्क दिया गया कि राजस्व बोर्ड मूल आवंटी मंगल सिंह की तुलना में प्रथम प्रत्यर्थी के स्टेटस के संबंध में कोई निर्धारण करने की अधिकारिता नहीं रखता है इसलिए अलौच्चय आदेश संधारणीय नहीं है।

आम तौर पर उच्च न्यायालय प्रकरणों के निस्तारण में दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत आदेश पारित नहीं करता है। सिविल प्रक्रिया की धारा 24 के तहत निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालय के पास अपने अधीनस्थ किसी भी अदालत में लंबित किसी भी मुकदमें को प्रत्याहरित करने और स्वप्ररेणा से मुकदमा चलाने तथा मामले को निपटाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। इसके लिए नोटिस जारी किये जाने की भी आवश्यकता नहीं होता है।

धारा 24 अन्तरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति- (1) किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चात् या ऐसी सूचना दिए

बिना स्वप्रेरणा से, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी प्रक्रम में-

- (क) ऐसे किसी वाद, अपील या अन्य कार्य को, जो उनके सामने विचारण या निपटारे के लिए लंबित है, अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है, अथवा
- (ख) अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य काग्रवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा, तथा
 - (i) उसका विचारण या निपटारा कर सकेगा, अथवा
- (ii) अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को उसका विचारण या निपटारा करने के लिए अन्तरित कर सकेगा, जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है, अथवा
- (iii) विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्यन्तरण कर सकेगा, जिससे उसका प्रत्यहरण किया गया था।
- (2) जहां किसी वाद या कार्यवाही का अन्तरण या प्रत्याहरण उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहां वह न्यायालय, जिसे ऐसे वाद या कार्यवाही का तत्पश्चात् विचारण करना है या उसे निपटाना है अन्तरण आदेश में दिए गए विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए या तो उसका पुनः

विचारण कर सें के लिए,अब्दुल रहमान बनाम परसोनी बाई (एस.बी. सिन्हा.जे.) 271

- (क) अपर और सहायक न्यायाधीशों के न्यायालय, जिला न्यायालय के अधीनस्थ समझे जाएंगे,
- (ख) "कार्यवाहीं के अन्तर्गत किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए कार्यवाही भी है।
- (4) किसी लघुवाद न्यायालय से इस धारा के अधीन अन्तरित या प्रत्याहत किसी वाद का विचारण करने वाला न्यायालय ऐसे वाद के प्रयोजनों के लिए लघुवाद न्यायालय समझा जाएगा।
- (5) कोई वाद या कार्यवाही उस न्यायालय से इस धारा के अधीन अन्तित की जा सकेगी जिसे उसका विचारण करने की अधिकारित नहीं है।

उक्त प्रावधान के आवलोकन मात्र से इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाता है कि उच्च न्यायालय को स्वप्ररेणा से वाद को प्रत्याहरित करने एवं वाद में सम्मिलित किसी मुद्दे पर स्वयं निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार प्राप्त ना हो।

मामले के रिकोर्ड से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लेकर कोई आपित नहीं उठाई है। बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि अपीलार्थी ने बिना किसी आपित के मामले की कार्यवाही में भाग लेकर ना केवल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को माना बिल्क प्रश्नगत संपित को खरीदने की भी पेशकश की। सम्पित के बाजरू मूल्य के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के पश्चात् अपीलार्थी अपने कथनों से पीछे हट गया।

इसिलए उपर्युक्त आधारों पर न्यायालय विद्वान अधिवक्ता श्री शरण के इस तर्क से सहमत नहीं है कि उच्च न्यायालय को मुकदमें को प्रत्याहरित करने तथा पत्रावली के निस्तारण का क्षेत्राधिकार नहीं था।

जहां स्वीकृत तथ्यों के आधार पर वाद का निस्तारण प्रारिभंक विवायक के आधार पर ही किया जा सकता हो, तो इसके लिए उच्च न्यायालय को किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 1 के तहत दीवानी न्यायालय प्रारंभिक विवायकों पर भी मामले का निस्तारण कर सकता है। इसलिए यह निसंदेह व निर्विवादित है कि वाद की पोषणीयता को लेकर पूर्ण न्याय व आन्वयिक बिन्दुओं को प्रारंभिक वाद के रूप में तय किया जा सकता है। इसलिए इस तरह के मामलो में प्रारंभिक विवायकों के आधार पर ही तय किया जा सकता है। जैसा की यह पूर्व से ही विदित है कि पक्षकारों ने पहले की दो कार्यवाहियों (1) अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन

रद्द करने की कार्यवाही (2) राजस्व अधिकारियों द्वारा शुरू की गई तथा निर्धारित की गई म्यूटेशन की कार्यवाही से इंकार नहीं किया है।

किसी भूमि की बंदोबस्त के संबंध में कार्यवाही राज्य सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा शुरू की जा सकती है। इसी तरह म्यूटेशन की कार्यवाही राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों के समक्ष राजस्व कार्यवाही का विषय है।

विचाराधीन सम्पत्ति अनुदान का विषय हो सकती है। यह प्रश्न क्षेत्राधिकार पर निर्भर है अर्थात् क्या मंगल सिंह की मृत्यु निर्वसीयती बिना उत्तराधिकारी के हुई थी? यदि मंगल सिंह अपने उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि छोड कर मृत हो गया है, तो सम्पत्ति के राज्यगामी होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के क्षेत्राधिकार संबंधित प्रश्न केवल राजस्व अधिकारियों के समक्ष उठाया जा सकता था। एक बार जब यह मान लिया गया है कि राजस्व अधिकारियों को इन प्रश्नों को निर्धारित करने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त थी तो निश्चित रूप से यह प्रश्न राजस्व अधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही में उठाये जा सकते थे, तथा उठाये जाने चाहिए थे लेकिन नहीं उठाये गये और अब दीवानी दावे की कार्यवाही में उठाये जाते है तो यह आन्वयिक पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर वर्जित होगा।

कोई भी मामला वास्तव में किसी मुकदमें की विषय वस्तु नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी यह मामले से संबंधित हो सकता है। प्रश्न की क्या प्रथम प्रत्यर्थी मंगल सिंह की पुत्री थी? यह मुददा राजस्व बोर्ड के समक्ष आवटन के रद्द करने की कार्यवाही और म्यूटेशन की कार्यवाही से संबंधित था? क्या यह राजस्व बोर्ड द्वारा अपीलार्थी को प्रथम कार्यवाही में यह आपित करने का अधिकार था कि प्रत्यर्थी संख्या मूल आवंटी की पुत्री नहीं थी, लेकिन इस तरह का तर्क अपीलार्थी ने नहीं उठाया।

इसमें कोई संदेह व या विवाद नहीं है कि पहली कार्यवाही में अपीलार्थी इस आधार पर प्रथम प्रत्यर्थी के अधिकार पर यह सवाल उठाने का हकदार था कि वह उपरोक्त मंगल सिंह की बेटी नहीं थी। लेकिन अपीलार्थी ने ऐसा कोई विवाद नहीं उठाया था। उपर्युक्त स्थिति में, अपीलकर्ता के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द करने के आवेदन पर राजस्व अधिकारियों ने प्रथम प्रत्यर्थी के कहने पर विचार किया। यह पाया गया था कि प्रत्यर्थी विचाराधीन भूमि के विषय-वस्तु में हित रखती है। इसलिए अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन का आदेश पारित होने से पहले उसे सुनवाई का अधिकार था। इसके अलावा, भूमि का कब्जा वापस पाने और उसके संबंध में अपना नाम म्यूटेशन कराने के प्रथम प्रत्यर्थी के अधिकार को राजस्व बोई द्वारा दो अवसरों पर बरकरार रखा गया है।

अब्दुल रहमान बनाम परसोनी बाई (एस.बी. सिन्हा.जे.) यहां तक कि राजस्व बोर्ड के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना भी खारिज कर दी गई।

केवल इसलिए कि विवादित सम्पत्ति मुकदमें के किसी एक पक्षकार के नाम कर दी गई है तो यह पक्षकारों के बीच में निर्णायक ओर बाध्यकारी नहीं होगा। रिकोर्ड में प्रविष्टि होने मात्र से विवादग्रस्त सम्पत्ति को लेकर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह का मृत उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमर सिंह व अन्य (1997) एसएससी 734 और (1997) एसएससी 7 और बलवंत सिंह और अन्य बनाम दौलत सिंह (मृत) बाई एल.आरएस.(1997) ७ एसएससी १३७ के न्यायिक निर्णयों में दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता श्री शरण ने दृढतापूर्वक ये उक्त कथन कहे है। लेकिन मामला हाजा को देखा जावे तो प्रत्यर्थी के मुकाबले मंगल सिंह का स्वामित्व कभी भी विवादित नहीं रहा था। दीवानी दावे में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या अपीलार्थी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पत्ति में कोई अधिकार या स्वामित्व प्राप्त करता था। लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मंगल सिंह को विवादित सम्पत्ति को लेकर स्वामित्व प्राप्त था।

इसिलए मामले के विशिष्ठ तथ्यों व परिस्थितियों में यदि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश महोदय ने मुकदमा प्रत्याहरित कर लिया था और स्वीकृत तथ्यों के आधार पर मामले का निस्तारण कर दिया था, इसमें कोई अवैधता नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधिश के साथ-साथ खण्डपीठ ने भी माना कि सम्पत्ति में मंगल सिंह के स्वामित्व को लेकर अपीलार्थी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए विवाद पोषणीय नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता श्री शरण ने न्यायिक निर्णय खुशरो एस. गांधी व अन्य बनाम एन ए गुजधार के विधिक प्रतिनिधि व अन्य एआईआर (1970) सुप्रीम कोर्ट 1468 पर अपना बल दिया। लेकिन यह निर्णय मामले हाजा की तथ्यों व परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। इस न्यायिक निर्णय में विचार के लिए जो प्रश्न उठाया गया था वह यह था कि लंबित विचाराधीन पुनर्रिक्षण याचिका में क्या अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है। जबकि इस बिन्दू का मामले हाजा से कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

अपीलार्थी का यह तर्क कि प्रत्यर्थी सं.1 के स्टेटस को राजस्व न्यायालय तय नहीं कर सकता है। इस तर्क को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी सं.1 के स्टेटस को कभी भी राजस्व न्यायालय में नहीं उठाया गया था। चूंकि अपीलार्थी ने अपने आप को मंगल सिंह का किरायेदार होने का दावा किया है इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह माना जा सके कि प्रत्यर्थी व मंगल सिंह के बीच में संबंध की जानकारी अपीलार्थी को ना हो।

पक्षकार ने स्वयं के विरूद्ध राजस्व मंडल द्वारा कार्यवाही निर्धारित किये जाने की अनुमति भी दे दी थी, जिससे राजस्व बोर्ड के निर्णय को अंतिम रूप मिला। पक्षकार की रीट याचिका खारिज की जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि म्यूटेशन की कार्यवाहियों में पक्षकारों के अधिकार तय होने के तीन साल बाद में दीवानी दावा दायर किया गया था। इसलिए उक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी को न्यायिक प्रक्रिया का द्रूपयोग नहीं करना चाहिए था तथा इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि लोक हित में मामले का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया जाना चाहिए। हालांकि न्यायिक निर्णय जोनसन बनाम जार्जवुड एंण्ड कोरपोरेशन (2000) 2 एसी में यह बताया गया है कि विबंध का सिद्धांत तथा अभिलेख द्वारा विबंध पूर्णतया अलग-अलग बिन्दू है। इसलिए वादी के द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार किया गया है।

इस मामले को लेकर न्यायालय की राय है कि यदि अपीलार्थी अपने आप को मंगल सिंह का किरायेदार बताता है तो वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपना अभिवाक् नहीं ले सकता है। ना ही एक किरायेदार के रूप में मंगल सिंह के स्वामित्व के प्रश्नगत कर सकता है। सम्पत्ति के राज्यगामी करने की कार्यवाही राज्य के कहने पर शुरू की गई थी, जो यह दर्शाता है कि राज्य ने इस आधार पर कार्यवाही की थी कि प्रश्न गत भूमि को लेकर मंगल सिंह को स्वामित्व प्राप्त था तथा मंगल सिंह बिना किसी उत्तराधिकार के निर्वसीयती फौत हुआ था। इसलिए सम्पित राज्य में निहित होेगी। अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि आबंटित की गई थी लेकिन यह स्पष्ट है कि मंगल सिंह सम्पित का स्वामी था, जो बिना किसी उत्तराधिकारी के निर्वसीयती फौत हुआ है। इसलिए अपीलार्थी को अपनी बातों से मुकरने की अनुमित नहीं दी जा सकती है।

न्यायालय की यह भी राय है कि संविधान के अनुछेद 136 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलौच्चय आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

चूंकि अपील में कोई सारवार आधार नहीं है, इसलिए अपील सव्यय खारिज फरमाई जाती है।

के.के.टी

अपील अस्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नवीन कुमार झरवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |